चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अल्मोडा मेडिकल कालेज एवं बेस चिकित्सालय में पेयजल आपूर्ति के निर्माण का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन / वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अयाज अहमद, मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– सोबन सिंह जीना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा एवं बेस चिकित्सालय अल्मोडा में शुद्ध पेयजल की कोई दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं है, फलस्वरूप पेयजल की अत्याधिक समस्या बनी रहती है। मेडिकल कालेज, प्राचार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पेयजल परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके क्रियान्वयन के बिना मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय को कार्यशील एवं संचालन करना सम्भवः ही नहीं है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये है :–
   1. **पम्प हाउस** – 8 x 7 x 5 मीटर क्षमता का Postive Suction Type Pump House बनाया जाना प्रस्तावित है।
   2. **राइजिंग मेन** – 150 एम0एम0 व्यास, 7.1 एम0एम0 मोटाई के 7000 मीटर लम्बाई में एम0एस0ए0पी0आई0 पाइप लेइंग का कार्य प्राविधानित किया गया है।
   3. **ओवर हैड टैंक** – 1500 एम0एल0डी0 क्षमता का 12 मीटर स्टेजिंग में ओवर हैड टैंक प्रस्तावित किया गया है। टेंक से मेडिकल कालेज तक जलापूर्ति हेतु 80 एम0एम0 व्यास की 3300 मीटर जी0आई0 पाइप की Gravity मैन प्रस्तावित की गयी है।

   4. **विद्युत एवं यांत्रिक कार्य –**
      a) 1000 एल0पी0एम0 डिस्चार्ज / 475 मीटर हैड एवं 1480 आर0पी0एम0 के 02 संख्या Horizontal centrifugal Pump एवं 200 एच0पी0 क्षमता की 02 संख्या Induction Motar स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
      b) विद्युत आपूर्ति हेतु 11 के0वी0 पृथक विद्युत पावर Transmission Line का प्राविधान भी किया गया है।
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

   4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2021 को सम्पन्न हुई तथा योजना को व्यय वित्त समिति में प्रस्तुतिकरण हेतु संस्तुति की गयी।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.2 योजना में राजकीय मेडिकल कालेज, अल्मोडा एवं बेस चिकित्सालय, अल्मोडा परिसर में लगभग दो हजार निवासितों (Faculity, Residence Doctor, Staff Nurse, Technician, Ward Boy and Midwife etc) एवं सात सौ शैय्याओं, आपातकालीन आवश्यकता, छात्रावासों एवं आगन्तुकों हेतु आगामी तीस वर्ष तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल की निर्वाध आपूर्ति हेतु आगणन तैयार किया गया है।

4.3 मटेला शुद्ध पेयजल प्लान्ट की वर्तमान जल शोधन क्षमता 11.20 एम0एल0डी0 है। डिजाइन वर्ष हेतु कुल पेयजल मांग 20 एम0एल0डी0 परिकल्पित है। 10 एम0एल0डी0 क्षमता के शोधन सयन्त्र का निर्माण पेयजल निगम द्वारा गतिमान है, इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर कुल शुद्ध पेयजल 21.20 एम0एल0डी0 उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष 20 एम0एल0डी0 पेयजल की आवश्यकता है।

4.4 संस्थान के पास 0.4 एम0एल0डी0 क्षमता के 3 Slow Sand Filter 24 घण्टे पम्पिग हेतु कार्यशील है जिनमें से 02 एक समय में चलाये जा रहे है जिससे मेडिकल कालेज चिकित्सालय परिसर एवं बेस चिकित्सालय परिसर हेतु आवश्यक 0.75 एम0एल0डी0 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

4.5 **मटेला जल शोधन प्लान्ट पर स्थापित Existing Works का विवरण** –

1. 0.4 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 संख्या Slow Sand Filtter, एक समय में तीन कार्यशील रहने पर 1.2 एम0एल0डी0 शोधित जल की उपलब्धता।
2. 2.5 एम0एल0डी0 के 02 संख्या Rapid Sand Filtter, 05 एम0एल0डी0 शोधित जल।
3. 2.5 एम0एल0डी0 क्षमता के 03 संख्या Rapid Gravity Filtter, 02 एक समय में कार्यशील रहने पर 05 एम0एल0डी0 शोधित जल।

4.6 **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त डिजाइन एवं ड्राइंग प्रतिष्ठित संस्थान से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।**

4.7 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

4.8 योजना की Per Capita cost रू0 54,500 प्रति वर्ष आती है।

4.9 जल की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

4.10 पम्पिग प्लान्ट का वार्षिक रख–रखाव व्यय रू0 45.86 लाख आकलित किया गया है।

4.11 आगणन में प्रस्तावित कार्य एवं उनकी लागत का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Item of Work	DSR	SOR	NSI	NSI (Deposit)
	Total Cost of Work	41.35	676.69	219.40	36.00
	Departmental Centage	5.17	84.59	27.42	
	Total	**46.52**	**761.28**	**246.82**	**36.00**
	Grand Total	**1090.62**			

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1090.62 लाख

4.12 योजना में कटौती मात्राओं में भिन्नता, साइट डेवेलमेन्ट में SOR के स्थान पर डी. एस.आर. दरें लिये जाने कार्टेज एवं कन्टिजेन्सी में त्रुटिपूर्ण प्राविधान के कारण की गयी है।

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय** :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

Pant

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.11 (Summary of Cost) में **अंकित लागत के सारांश–4.11 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि 1090.62 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं जैम पोर्टल/पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.3 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पाईप, पम्प, मोटर cement एवं अन्य का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

5.4 **कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त डिजाइन एवं ड्राइंग प्रतिष्ठित संस्थान से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।**

5.5 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing विभागीय सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0/ विभागीय दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

5.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

5.8 शोधित पेयजल की मानक गुणवत्ता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.8 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों पर शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–4/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या 900 /728/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/पेयजल/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षण्मुगम)
सचिव (प्रभारी)